ए.

रामाबोरा @रामाबोरा और ए. एन. आर. वी.

कर्नाटक राज्य

(2011 की आपराधिक अपील No.1697) 10 अगस्त, 2022

[इंदिरा बनर्जी और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.143,144,148,147,448,302 और 149-22 अभियुक्तों ने घातक हथियार से लैस होकर गैरकानूनी सभा की और मृतक के घर में अतिक्रमण किया और एक सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए पीड़ित की हत्या कर दी-सत्र न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण (ए-1 और ए-2) को बरी करने के फैसले को दरकिनार कर दिया और उन्हें भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन अन्य सभी अभियुक्तों को बरी करने की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की-आयोजितःउच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति को दरकिनार करने के लिए अधिक मजबूत और ठोस कारण नहीं दिए हैं-इसके अलावा, उच्च न्यायालय का निर्णय एस के दायरे में कानून के अनुसार नहीं है।378 <आई. डी. 1.-जहाँ तक अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि से संबंधित है, उच्च न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया गया है।

अरविंद कुमार @नेमीचंद और अन्य बनामकी स्थिति

राजस्थान 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1099; रवि शर्मा बनाम.

राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली सरकार**)** और एक और **2022**

एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 859-**संदर्भित।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2011 की आपराधिक अपील सं. 1697।

2001 की आपराधिक अपील संख्या 1590 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 21.07.2008 के निर्णय और आदेश से।कृष्ण पाल सिंह, एस. कयूम, सुश्री ए. अपराजित, हरिशा एस. आर., अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

जी.

वी. एन. रघुपति, परीक्षित पी. अंगड़ी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

827 ए.

828

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

1. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें सुनाई गई आजीवन कारावास की दोषसिद्धि से व्यथित होकर, सत्र न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश को उलटते हुए, आरोपी Nos.1 और 2 ने उपरोक्त अपील दायर की है।

2. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता और कर्नाटक राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना है।

3. अपीलार्थीगण पर 20 अन्य व्यक्तियों के साथ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 143,144,148,147,448 और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 149 के तहत कथित अपराधों के लिए द्वितीय अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, बैंगलोर के समक्ष मुकदमा चलाया गया था। आई. डी. 1 दिनांकित एक निर्णय द्वारा, उन सभी अभियुक्तों को छोड़कर जिन्हें अभियोजन पक्ष ने निरस्त कर दिया था, सत्र न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था।

4. हालाँकि कर्नाटक राज्य द्वारा दायर अपीलों पर, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने इसमें (ए-1 और ए-2) अपीलार्थीगण को बरी करने के फैसले को दरकिनार कर दिया और उन्हें भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया

और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा अन्य सभी अभियुक्तों के बरी होने की पुष्टि की गई।

5. पलटाव के उक्त फैसले से व्यथित होकर, अभियुक्त Nos.1 और 2 ने उपरोक्त अपील दायर की है।

6. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि लगभग 11 बजे, सभी 22 अभियुक्तों ने एक गैरकानूनी सभा में खुद को शामिल किया और घातक हथियारों से लैस होकर, उन्होंने मृतक सिद्दाराजू के घर में प्रवेश करके अतिक्रमण किया और एक सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए मृतक की हत्या कर दी।

7. अभियोजन पक्ष के अनुसार हत्या का मकसद यह था कि जब ए-1 मृतक के घर से गुजर रहा था, तो उसने मृतक को अभद्र और गंदी भाषा में गाली देते सुना।हालाँकि पीड़ित कथित तौर पर अपने ही पिता को गाली दे रहा था, ए-1 ने गलती से समझ लिया जैसे कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा हो।इसलिए, उसने मृतक के साथ झगड़ा किया और उसके बाद गाँव गया, दूसरे आरोपी को सुरक्षित किया और सिद्दाराजू के घर गया, दरवाजा तोड़ा, उसे सड़क पर खींच लिया और उसकी हत्या कर दी।

जी.

एच.

829

रामाबोरा @रामाबोरा और ए. एन. आर. वी.कर्नाटक राज्य [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

ए.

8. अभियोजन पक्ष का मामला पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 की मौखिक गवाही पर आधारित था, जो मृतक की मां और मामा थे।यद्यपि मृतक के पिता और बहन की भी पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के रूप में जांच की गई थी, लेकिन उन्हें इस आधार पर चश्मदीद गवाह के रूप में नहीं माना गया कि उन्होंने घटना को नहीं देखा था।

9. पीडब्लू 5,6,7 और 8 के रूप में जांच किए गए चार पंच गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया।पीडब्लू-9, मजार गवाह भी शत्रुतापूर्ण हो गया।पीडब्लू-10 वह डॉक्टर था जिसने मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया था।

10. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि मृतक की मां पीडब्लू-1 ने 1.12.1997 पर 00.45 बजे शिकायत दी, जिसके आधार पर प्रदर्शनी पी-8 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद, मृतक की पत्नी नागम्मा ने एक और शिकायत दी जिसे प्रदर्शनी पी-9 के रूप में चिह्नित किया गया था।उक्त शिकायत के आधार पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों सहित और अधिक अपराधों के लिए दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।लेकिन अज्ञात कारणों से, इस नागम्मा से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई, हालांकि आरोप पत्र में गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था।

11. मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, सत्र न्यायालय ने अपीलार्थीगण के संबंध में कुछ निष्कर्ष दर्ज किए (ए-1 और ए-2) जो सत्र न्यायालय के शब्दों में ही पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

"1. पीडब्लू1 केवल छह व्यक्तियों की उपस्थिति के बारे में बताता है और वे ए 1, ए 2, ए 3, ए 11, ए 16 और ए 18 हैं।जबकि ए 14 केवल 7 व्यक्तियों की उपस्थिति के बारे में बात करता है अर्थात ए 1,2,8,11,16 और 12।इस तरह पीडब्लू1 7 अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति के बारे में बताता है।इन दोनों गवाहों द्वारा बताए गए आरोपी बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं।दोनों गवाहों ने केवल ए 1, ए 2, ए 11 और ए 16 की उपस्थिति के बारे में बात की है और उन्होंने दूसरों की उपस्थिति के बारे में बात नहीं की है।

2. पीडब्लू1 और पीडब्लू4 द्वारा एक साथ बताई गई उपस्थिति ए 1 से ए 3, ए 8, ए 11, ए 12, ए 16, ए 18 और ए 21 है।इसलिए, अन्य सभी अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति किसी भी गवाह द्वारा नहीं बताई गई है और इस वजह से उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

जी.

3. यह तथ्य कि पीडब्लू1 ए 8, ए 12 और ए 21 की उपस्थिति के बारे में चुप है, जिसकी उपस्थिति पीडब्लू4 द्वारा बताई गई है, यह दर्शाता है कि वे मौजूद नहीं थे।इसी तरह के बारे में पीडब्लू 4 की खामोशी

एच.

A3 और A18 की उपस्थिति जिसकी उपस्थिति PW1 द्वारा बोली जाती है, यह दर्शाती है कि A3 और A18 मौजूद नहीं हो सकते थे।इसलिए, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गलत निहितार्थ है।

4. यह तथ्य कि चश्मदीद गवाह अधिकांश अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति के बारे में नहीं बोलते हैं, यह दर्शाता है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।इसलिए, शुरू से ही अभियोजन पक्ष के साक्ष्य संदिग्ध हैं।

5. जब हमने सबूतों की जांच की कि किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, तो यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह केवल एक अतिशयोक्ति है और कोई भी गवाह सच नहीं बोल रहा है और यहां तक कि उनकी उपस्थिति भी संदिग्ध हो जाती है।

6. शिकायत के अनुसार, आरोपी-1 ने मृतक के सिर पर 'बेतुकोदली' से हमला किया।ए 12 अश्वथा ने मृतक पर पूरे शरीर में हमला किया।अन्य सभी अभियुक्तों ने उन पर पत्थरों और ईंटों से हमला किया।इसलिए, शिकायत के अनुसार कुछ पत्थरों और ईंटों के अलावा केवल एक 'बेतुकोदली' (कुल्हाड़ी), एक कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया था।लेकिन सबूतों में एमओ-1 से एमओ-6 क्लब और एमओ-7 से एमओ-9 हेलीकॉप्टर और दरांती और कुल्हाड़ी को चिह्नित किया गया है।इसलिए शिकायत में बताए गए हथियारों की संख्या साक्ष्य में उत्पादित और चिह्नित हथियारों की तुलना में अलग है।7. पीडब्लू1 इस हद तक कहता है कि आरोपी 'माचू', दरांती, कुल्हाड़ी, चाकू और डंडे लेकर आया था।इस तरह पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा बताए गए हथियार शिकायत में बताए गए हथियारों की तुलना में अलग हैं।पीडब्लू1 वादी है और इस वजह से, वह ऐसे हथियार नहीं बता सकती थी जो शिकायत में भी नहीं बताए गए थे।इससे पता चलता है कि पीडब्लू1 का साक्ष्य अतिशयोक्ति से भरा है और यह स्वीकार्य नहीं है।

8. शिकायत में आरोपी-1 द्वारा किया गया स्पष्ट कार्य यह है कि उसने मृतक के सिर पर बेतुकोडली से हमला किया।लेकिन पीडब्लू1 का कहना है कि ए-1 ने मृतक के कान पर कुल्हाड़ी से हमला किया और उसे काट दिया गया।पीडब्लू4 ने कहा है कि आरोपी-1 पर दरांती से हमला किया गया।अतः अभियुक्त-1 द्वारा किए गए स्पष्ट कार्य के बारे में विरोधाभास है।

जी.

9. जब हम अभियुक्त-2 थिम्मा द्वारा किए गए उस स्पष्ट कार्य को देखते हैं, तो विरोधाभासी संस्करण होता है।शिकायत में केवल यह कहा गया है कि आरोपी-2 ने उस घर का ताला तोड़ दिया जहां सिद्दाराजू ए.

एच.

831

रामाबोरा @रामाबोरा और ए. एन. आर. वी.कर्नाटक राज्य [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

उसे रखा गया और फिर यह आरोपी-1 है जिसने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया और उसकी मौत का कारण बना।लेकिन सबूत में पीडब्लू1 का कहना है कि आरोपी-2 एमओ 9 कुल्हाड़ी लेकर आया था और उस पर हमला किया था।उन्होंने यह कहते हुए एक और संस्करण दिया कि एम. ओ. 7 हेलीकॉप्टर आरोपी-2 थिम्मा के हाथ में था।पीडब्लू4 का कहना है कि आरोपी-2 ने कुल्हाड़ी से हमला किया।इस तरह से अभियुक्त-2 द्वारा किए गए स्पष्ट कार्य के बारे में अलग-अलग कथन हैं और इसके कारण उनका साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है।
10. पीडब्लू1 का कहना है कि आरोपी ने उस पर भी हमला किया और उसके सिर पर खून बहने से चोट लगी और अश्वथा नामक व्यक्ति ने उस पर हमला किया और उसने सरकारी अस्पताल चन्नापटना में इलाज कराया।मेरी राय में, यह केवल एक अतिशयोक्ति है क्योंकि, उसके साथ दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत में यह नहीं कहा गया है और यह दिखाने के लिए कोई चिकित्सा प्रमाण नहीं है कि उसका इलाज चन्नापटना अस्पताल में किया गया था।

11. यह तथ्य कि चश्मदीद गवाह पीडब्लू1 और पीडब्लू4, कई अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति के बारे में बात नहीं करते हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाया गया है।अतः अभियोजन पक्ष के मामले में सब कुछ ठीक नहीं है और यह पर्याप्त संदेह पैदा करता है और अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार होगा।”

12. उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, सत्र न्यायालय ने उन सभी 22 अभियुक्तों को छोड़कर बरी कर दिया, जिनके खिलाफ आरोप समाप्त हो गए थे।इसलिए, राज्य ने दो अपीलें दायर कीं, जिनमें से एक 17 अभियुक्तों के खिलाफ और दूसरी 2 अभियुक्तों के खिलाफ थी।2001 की आपराधिक अपील में अपील ए-7 और ए-8 के बरी होने के खिलाफ थी और दूसरी अपील, 2001 की आपराधिक अपील ए-1 से ए-3, ए-5, ए-6, ए-9 से ए-16, ए-18, ए-19, ए-21 और ए-22 के बरी होने के खिलाफ थी।

13. उच्च न्यायालय ने 2001 की राज्य की आपराधिक अपील No.1591 को खारिज कर दिया, जिससे ए-7 और ए-8 के बरी होने की पुष्टि हुई।2001 की आपराधिक अपील में उच्च न्यायालय ने ए-1 और ए-2 को छोड़कर अन्य सभी अभियुक्तों को बरी करने की पुष्टि की। दूसरे शब्दों में, इस अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी और ए-1 और ए-2 को केवल भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।

जी.

14. वास्तव में, धारा 149 के साथ पठित धारा 143,144,148,147 और 448 के तहत आरोप ए-1 और ए-2 के खिलाफ भी थे, जो इसमें अपीलार्थीगण हैं।ए-1 और ए-2 को उच्च न्यायालय द्वारा केवल भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

एच.

15. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, उच्च न्यायालय ने (i) पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 के साक्ष्य में विसंगतियों की ओर इशारा किया, जहां तक ए-1 और ए-2 के अलावा सभी अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका की बात है; (ii) निचली अदालत ने सभी 22 व्यक्तियों को बरी करने में केवल इसलिए गलती की क्योंकि पीडब्लू-1 ने उन सभी का नाम नहीं लिया था; (iii) इस प्रकृति के मामलों में "फॉल्सस इन यूनो फॉल्सस इन ओमिनबस" सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जा सकता है; और (iv) कि अपराध करने में ए-1 और ए-2 की भागीदारी के संबंध में पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 के साक्ष्य में एकरूपता थी।16. अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत अपराध का दोषी ठहराने के लिए उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का महत्वपूर्ण हिस्सा इस प्रकार हैः-

“हम अपराध करने में ए 1 और ए 2 की भागीदारी के संबंध में पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 के साक्ष्य में एकरूपता पाते हैं।दोनों ने बयान दिया है और कहा है कि ए 1 और ए 2 ने घर का दरवाजा तोड़ा, ए 1 ने सिद्दाराजू को घर से घसीटा, उसके चेहरे पर दरांती से वार किया और उसके बाद ए 2 ने कुल्हाड़ी से मृतक के सिर पर हमला किया।उसी को शिकायत में भी

जगह मिलती है।इस प्रकार, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 के साक्ष्य का यह हिस्सा विश्वसनीय है और ट्रायल कोर्ट ने ए 1 और ए 2 को गलती से बरी कर दिया, जब उन्हें दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री थी।"

17. लेकिन उच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष अतार्किक प्रतीत होते हैं।अभियोजन पक्ष का प्राथमिक आरोप था कि सभी 22 अभियुक्तों ने मृतक की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी सभा में खुद को शामिल किया और यह कि वे सभी गैरकानूनी सभा के सदस्य होने के नाते घातक हथियारों जैसे क्लब, बेटू कुडली, कोडली आदि से लैस थे और उन्होंने दंगे, अतिचार और हत्या का अपराध किया।इन सभी आरोपों को अब ए-1 और ए-2 सहित सभी अभियुक्तों के खिलाफ साबित नहीं किया गया है और ए-1 और ए-2 के खिलाफ एकमात्र अपराध भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 के तहत साबित हुआ है। हम नहीं जानते कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, 22 अभियुक्तों में से केवल 2 की दोषसिद्धि को कैसे कायम रखा जा सकता है और वह भी केवल धारा 302 के तहत अपराध के लिए जब उन सभी के खिलाफ गैरकानूनी सभा, सामान्य उद्देश्य, अतिक्रमण, दंगे आदि का आरोप साबित नहीं किया जाता है।राज्य ने अन्य सभी अभियुक्तों को बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं की है।

जी.

18. इसके अलावा, इस बात का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि दो प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों थीं।पीडब्लू-13 के अनुसार, उप-निरीक्षक ए

एच.

833

रामाबोरा @रामाबोरा और ए. एन. आर. वी.कर्नाटक राज्य [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

पुलिस की ओर से, उन्हें 00.45 बजे पीडब्लू-1 की मौखिक शिकायत प्राप्त हुई। 01.12.1997 पर और वह शिकायत दर्ज करने का दावा करता है, उसी को अपराध No.182/1997 के रूप में दर्ज करता है और उसे अदालत में भेजता है।इस एफ. आई. आर. को प्रदर्शनी पी-8 के रूप में चिह्नित किया गया था।

19. वही गवाह पीडब्लू-13 के अनुसार, मृतक की पत्नी नागम्मा ने अस्पताल में एक लिखित शिकायत दी।इसे प्रदर्शनी पी-9 के रूप में चिह्नित किया गया था।पीडब्लू-13 ने दावा किया कि इसके बाद उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)

अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों को शामिल करके दूसरी प्राथमिकी दर्ज की।इस एफ. आई. आर. को प्रदर्शनी पी-7 के रूप में चिह्नित किया गया था।पीडब्लू-13 ने आगे दावा किया कि दूसरी प्राथमिकी की आगे की अनुसंधान सी. पी. आई. को सौंपी गई थी, क्योंकि यह गंभीर अपराधों से संबंधित थी।

20. सीपीआई की जांच पीडब्लू-14 के रूप में की गई थी।अपनी जिरह में उन्होंने यह नहीं बताया कि दूसरी एफ. आई. आर. का क्या हुआ। उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्होंने 7 से शव का पंचनामा की कार्यवाही के समय ही नागम्मा (मृतक की पत्नी जिसने दूसरी शिकायत दी थी) का बयान लियाः00 ए. एम. से 10 बजे तक

21. जैसा कि पहले कहा गया है, नागम्मा को आरोप पत्र में गवाहों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया था, लेकिन मुकदमे के दौरान उनसे गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई थी।उच्च न्यायालय ने दर्ज किया है कि उसके ठिकाने का पता नहीं था और इसलिए, उससे पूछताछ नहीं की जा सकी।ऐसा स्पष्टीकरण पीडब्लू-14 की गवाही में नहीं मिलता है।

22. यह सच है कि "फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओम्निबस" सिद्धांत का आपराधिक न्यायशास्त्र में मिलावट रहित अनुप्रयोग नहीं हो सकता है।अदालतों ने हमेशा वही करना पसंद किया है जो हमसा, पौराणिक हंस, के बारे में माना जाता है, अर्थात् दूध और पानी को दूध के मिश्रण से अलग करना।

दोनों 1.अरविंद कुमार @नेमीचंद और अन्य बनाम।की स्थिति

राजस्थान **2,** एम**.** एम**.** सुंदरेश जे**.** ने पीठ की ओर से बोलते हुए इस सिद्धांत को इस प्रकार स्पष्ट कियाः

“49. यह सिद्धांत कि जब कोई गवाह झूठ बोलता है, तो सबूत को पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है, हमारे देश में आपराधिक न्यायशास्त्र पर सख्ती से लागू नहीं हो सकता है।अनाज से भूसी की छान-बीन करने का सिद्धांत लागू करना पड़ता है।हालांकि, जब साक्ष्य अविभाज्य है और इस तरह का प्रयास या तो असंभव होगा या सबूत बना देगा

जी.

1 मुहावरा "अनाज से भूसी निकालना" बहुत पुराना हो गया है और खराब हो गया है और इसे बदलने की आवश्यकता है।

एच.

अस्वीकार्य, स्वाभाविक परिणाम परिहार का होगा।उक्त सिद्धांत ने कानून का दर्जा नहीं लिया है, बल्कि केवल सावधानी के नियम के रूप में जारी है।किसी दिए गए मामले में विसंगति की प्रकृति को देखना होगा।जब विसंगतियां बहुत भौतिक होती हैं जो गवाह की विश्वसनीयता को हिला देती हैं जिससे अदालत के दिमाग में एक निष्कर्ष निकलता है कि न तो इसे अलग करना संभव है और न ही उस पर भरोसा करना संभव है, तो यह उक्त अदालत को स्वीकार करना या अस्वीकार करना है।"

23. इसलिए, उच्च न्यायालय पहले सिद्धांतों पर सही था कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 के साक्ष्य को सिद्धांत का आह्वान करके खारिज नहीं किया जा सकता है।

ओम्निबस में यूनो फाल्सस में फाल्सस का।

24. लेकिन जब इन दो गवाहों की गवाही के बीच भी इस्तेमाल की गई भौतिक वस्तु के प्रकार और यहां तक कि ए-2 की भूमिका पर भी स्पष्ट विरोधाभास होते हैं, तो अभियोजन पक्ष के मामले की नींव ही हिल गई।

25. वास्तव में, निचली अदालत ने पीडब्लू-1 को लगी चोटों से संबंधित सबूतों के अभाव पर ध्यान दिया।पीडब्लू-1 द्वारा प्राथमिकी में उसके शरीर पर चोटों के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन उसने अपने साक्ष्य में इसके बारे में बात की।यहां तक कि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा भी इसकी पुष्टि नहीं की गई थी।यही कारण है कि निचली अदालत ने पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया।

26. पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 पर अविश्वास करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए बरी करने के इस तरह के फैसले को पलटने के लिए उच्च न्यायालय को दर्ज किए गए कारणों से अधिक मजबूत और ठोस कारण सामने लाने चाहिए थे।Cr.P.C की धारा 378 के दायरे पर कानून बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है।बहुत हाल ही में इस अदालत ने रवि शर्मा में कानून का पता लगाया

बनाम राज्य **(**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार**)** और अन्य **3.**द इम्पाग्ड

उच्च न्यायालय का निर्णय इस मुद्दे पर कानून के अनुसार नहीं है।

27. ऐसी परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को, जहां तक यह अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि से संबंधित है, खारिज कर दिया जाता है।अपीलार्थीगण को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, जब तक कि वे किसी अन्य मामले के संबंध में कारावास का सामना नहीं कर रहे हों।कोई लागत नहीं।

जी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए) 3 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 859

एच.